

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास अनुभाग-6)



☎ 0141-2227379

✉ dsrdsap@rajasthan.gov.in

Website: rdprd.gov.in

क्रमांक प.17(92)ग्रावि/एस.एस./87/ 1407

जयपुर, दिनांक:- 19 MAY 2022

—: आदेश :-

मेवात क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु राज्य स्तरीय मेवात क्षेत्रीय विकास मण्डल का पुनर्गठन राज्य सरकार द्वारा मनोनीत श्री जुबेर खान की अध्यक्षता में किया जाकर योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु सं. 10.1 के अनुसार निम्न सदस्यों को शामिल कर गठित किया जाता है:-

1. सांसद, लोकसभा/राज्य सभा संबंधित क्षेत्र, सदस्य ।
2. विधानसभा सदस्य संबंधित क्षेत्र, सदस्य ।
3. जिला प्रमुख संबंधित क्षेत्र, सदस्य ।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज/वित्त/आयोजना/कृषि एवं पशुपालन/जल संसाधन/ऊर्जा/सांख्यिक निर्माण विभाग/शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, सदस्य ।
5. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, सदस्य ।
6. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, सदस्य ।
7. संभागीय आयुक्त जयपुर एवं भरतपुर, सदस्य ।
8. जिला कलक्टर, अलवर एवं भरतपुर, सदस्य ।
9. प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों जैसे I.I.M, I.I.T., CAZRI, MNIT, इत्यादि के प्रतिनिधि/विषय विशेषज्ञ (आवश्यकतानुसार), सदस्य ।
10. स्वैच्छिक संगठन / गैर सरकारी संगठन (आवश्यकतानुसार), सदस्य ।
11. शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग-सदस्य सचिव ।


मण्डल मेवात क्षेत्र के विकास संबंधित योजनाओं का पर्यवेक्षण करेगा तथा उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समस्या व उसमें सुधार हेतु मार्गदर्शन देगा। मेवात क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के संबंध में नई योजनाओं के लिये सुझाव देगा। मण्डल अपने किसी भी कार्य के लिये उप समितियों का गठन कर सकेगा एवं आवश्यकतानुसार किसी व्यक्ति विशेष को विशेष रूप से आमन्त्रित अथवा मनोनीत भी कर सकेगा। जिले से प्राप्त समग्र ग्राम विकास वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन करेगा।

मण्डल की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जावेगी। मण्डल का मुख्यालय जयपुर होगा लेकिन इसकी बैठक मेवात क्षेत्र में किसी भी स्थान पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आयोजित की जा सकेगी।

राज्य स्तर पर मेवात क्षेत्रीय विकास योजना क्रियान्वयन का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग रहेगा।

मण्डल का कार्यकाल राज्य स्तर से जारी आदेश के अनुसार होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।


  
(कजोड़मल दूडिया) 19/05/2022

शासन उप सचिव, प्रशा. ग्रावि

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पंचायती राज विभाग।

3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड।
4. माननीय सांसद महोदय, लोकसभा/राज्य सभा संबंधित क्षेत्र।
5. माननीय विधायक महोदय, संबंधित क्षेत्र।
6. जिला प्रमुख अलवर एवं भरतपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज/वित्त/आयोजना/कृषि एवं पशुपालन/जल संसाधन/ऊर्जा/सार्वजनिक निर्माण विभाग/शिक्षा प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
9. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान।
10. निजी सचिव, स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजीविका।
11. संभागीय आयुक्त जयपुर एवं भरतपुर।
12. जिला कलक्टर, अलवर एवं भरतपुर।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर एवं भरतपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संबंधित माननीय सांसदगण/विधायकगण को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।
14. ए.सी.पी. ग्रावि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।



परियोजना निदेशक एवं  
पदेन उप सचिव(एसएपी-द्वितीय)